

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अ. प्र. चौ. प्रकरण संख्या 11/2019(GCMS : 2019/00254)

जोगेन्द्र कौर उम्र 66 वर्ष पत्नी स्व. श्री साधु सिंह जाति बाजीगर, साकिन वार्ड नं. 05, 3 एल मटौलीराठान, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

मलकीत सिंह पुत्र साधु सिंह जाति बाजीगर, साकिन वार्ड नं. 05, 3 एल मटौलीराठान, जिला श्रीगंगानगर



10.12.2025

प्रार्थिया जोगेन्द्र कौर ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 56/2018 निर्णय दिनांक 15.10.2019 से 1500/- रुपये प्रतिमाह अदा करने के आदेश दिये थे, जिसके विरुद्ध अपीलार्थियां ने यह अपील पेश की थी।

अपीलार्थिया जोगेन्द्र कौर के प्रतिनिधि श्री जसवीर सिंह ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थिया जोगेन्द्र कौर की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इस अपील को दाखिल दफतर कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थिया ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.10.2019 को निरस्त करने एवं 10,000/- प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिलाये जाने एवं पति की कृषि भूमि को उसके नाम दर्ज करने हे पेश की थी। अब प्रार्थिया की मृत्यु हो चुकी है इसलिए यह अपील निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गई है। अतः इसी आधार पर यह अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील भरण पोषण निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड एवं आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

M. 14

(डॉ. मन्जू)

कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

